UNDER SECTION 286 OR 287 OF THE BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA 2023

In the Court of रवि कुमार बौरासी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच (म.प्र.)

Case No....351/26..........

Complaint of report made or...23-05-26

Name and Address of the complaint पुलिस थाना नीमचकेंट विरूद्ध नीमचकेंट, जिला - नीमच (म.प्र.)

Name, parentage, caste and address of accused
① सरदार सिंह पिता राधेश्याम देवड़ा उम्र - 23 वर्ष नि. 14/02 विकास नगर नीमच केंट

The offence complainaned of and date of its alleged commission

तुमने दिनांक ....23-05-26.......... को समय ....17.40.......... बजे स्थान....स्टेशन पेट्रोल पंप के सामने, ग्वालटोली.......अंतर्गत ......05 [illegible]........ क्वार्टर देशी मदिरा/हाथ भट्टी की कच्ची शराब को अवैध रूप से बेचने के उद्देश्य से अपने आधिपत्य में रखे हुये पाये गये जिसका लाईसेंस भी आपके पास नहीं था।

इस प्रकार आपने वह अपराध किया जो धारा 34(1)(क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1915 के तहत दण्डनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान में है। आप अपराध स्वीकार करना चाहते हो या विचारण चाहते हो।

(रवि कुमार बौरासी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला – नीमच (म.प्र.)

The plea of the accused and his examination (if any) –
अभियुक्त का अभिभावक है कि –

स्वैच्छा से जुर्म स्वीकार है।

(रवि कुमार बौरासी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला – नीमच (म.प्र.)

The offence proved. It any and in case under clause. (d) clause, (e) clause, (f) clause or clause (g) of sub-section (i) of Section 283 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय – रवि कुमार बौरासी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक - 351

संस्थित दिनांक - 13-08-26

-निर्णय-

(आज दिनांक 13-08-26 को घोषित किया गया)

1. प्रकरण में अभियुक्त पर धारा 34(1)(क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1915 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप है ।
2. अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाए गए अभियोग धारा 34(1)(क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1915 के अपराध की विशिष्टियां पढकर सुनायी जाने पर अभियुक्त ने स्वैच्छया से अपराध करना स्वीकार किया है । अतः अभियुक्त की स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 34(1)(क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1915 के अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाकर दोषसिद्ध किया जाता है ।
3. अभियुक्त परीवीक्षा का लाभ पाने का पात्र नहीं है । अतः अभियुक्त को धारा 34(1)(क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1915 के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000/- रूपये (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 07 दिवस/माह का साधारण कारावास भुगताया जावे ।
4. प्रकरण मे जप्तशुदा 0.5 ली. देसी हाथ भट्टी शराब अपील अवधि उपरांत एवं अपील न होने की दशा में विधिवत् नष्ट की जावे । अपील होने की दशा में जप्तशुदा शराब का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जावेगा ।
5. अभियुक्त को निर्णय की प्रतिलिपि निःशुल्क व अविलंब प्रदान की जावे ।

दिनांक 13-08-26
स्थान नीमच

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(रवि कुमार बौरासी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला – नीमच (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner